

सं०सं०-16/एच.1-03/2019-

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

रवीन्द्र यादव,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

विशेष कार्य प्रदाधिकारी,
बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद,
पटना।

पटना, दिनांक-

विषय :- NEET(UG)-2019 के परीक्षाफल के आधार पर राज्य के निजी प्रक्षेत्र के चिकित्सा महाविद्यालयों के BAMS/BHMS/BUMS पाठ्यक्रम में नामांकन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के निजी आयुर्वेदिक/यूनानी एवं होमियोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय में BAMS/BHMS/BUMS पाठ्यक्रम में नामांकन NEET(UG)-2019 के परीक्षाफल के आधार पर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का काउन्सेलिंग से किया जायेगा। विभागीय प्रेस विज्ञप्ति संख्या 59(आ0चि0) दिनांक 15.01.2019 से भी सूचित किया जा चुका है।

2. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 16144 दिनांक 28.11.2012 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाना नियमानुकूल नहीं होगा।


विश्वासभाजन
ह0/-

(रवीन्द्र यादव)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:-16/एच.1-03/2019-705 (आ.चि.) पटना, दिनांक - 23.5.2019
प्रतिलिपि- परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- निदेशक, आयुर्वेद/होमियोपैथ आयुष निदेशालय/सभी प्राचार्य, निजी आयुर्वेदिक/यूनानी एवं होमियोपैथिक कॉलेज एवं अस्पताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


22.5.19
सरकार के अवर सचिव